केन्द्रीय सूचना आयोग
दूसरा तल, बी विंग, अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066

संख्या: CICOM/R/2017/00467/SH **दिनांक : 24.04.2017**

श्री अजय कुमार गुप्ता,
मोहल्ला पीपल टोला,
रामपुर, उत्तर प्रदेश ।
पिन -244901

महोदय

कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन दिनांक 07.04.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करे जो इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 20.04.2017 को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में उत्तर निम्न प्रकार है: -

<u>बिंन्दु संख्या -1, 2 & 3</u>

आपके द्वारा भेजे गये तीनों पत्र दिनांकित 14.09.2016, 01.12.2016 और 30.01.2017 आयोग के आदेश संख्या CIC/SH/A/2015/002243, 2283 & 2320 दिनांक 19.05.2016 को बैंक ऑफ़ बडौदा के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आदेश की अनुपालना न करने के सम्बन्ध में थे । इन पत्रों के बारे में आपको यह सूचित करना चाहते है कि उपरोक्त आदेश की अनुपालना न करने से सम्बंदित मामला आयोग में पहले से ही विचाराधीन था । इसलिए इन तीनों पत्रों पर कार्यवाही करते हुए आयोग ने अपने पत्र दिनांक 03.04.2017 के माध्यम से संबंधित जन सूचना अधिकारी से एक हफ्ते के अन्दर आयोग के आदेश की अनुपालना रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है जो की आपको पहले ही भेज दिया गया है ।

<u>बिंन्दु संख्या -4</u>

दिनांक 07.04.2017 तक आयोग के आदेश संख्या CIC/SH/A/2015/002243, 2283 & 2320 में दिए गए निर्देशों की पालना करवाने के लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :-

आपके द्वारा भेजे गये तीन पत्र जिनकी दिनांक 10.08.2016 और 11.08.2016 थी जो आयोग के आदेश संख्या CIC/SH/A/2015/002243, 2283 & 2320 दिनांक 19.05.2016 को बैंक ऑफ़ बडौदा के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आदेश की अनुपालना न करने के सम्बन्ध में थे । उपरोक्त पत्रों पर कार्यवाही करते हुए आयोग ने अपने पत्र दिनांक 14.09.2016 के माध्यम से सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी से आदेश की अनुपालना के बारे में लिखित रिपोर्ट मांगी थी । बैंक ऑफ़ बडौदा की लिखित रिपोर्ट और आपके तीन पत्रों दिनांकित 14.09.2016, 01.12.2016 और 30.01.2017 को आयोग ने परिक्षण करने के बाद पत्र दिनांक 03.04.2017 के माध्यम से संबंधित जन सूचना अधिकारी से एक हफ्ते के अन्दर आयोग के आदेश की अनुपालना रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है । अभी तक यह मामला आयोग में लंबित है ।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं है तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते है । प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है : -

श्री राकेश कुमार सिंह,
अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
केन्द्रिय सूचना आयोग, अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066

(विजय भल्ला)
उप-पंजीयक

प्रतिलिपि :

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग ।